न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 25 रान 2020
अनवान :-

1. मनोज कुमार पुत्र अगरसिह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :- 04/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक में प्रार्थी का सयुक्त तौर से 875/20576 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण विनोद कुमार दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मनोज कुमार है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी का नाम मनोज कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है वादी का अन्य चकों/ग्रामों की भूमियों मे विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार दर्ज है एकरूकता करने के लिये वाद भूमि में भी विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक में प्रार्थी का सयुक्त तौर से 875/20576 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम विनोद कुमार के स्थान पर विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निरस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक में प्रार्थी का सयुक्त तौर से 875/20576 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है की वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण विनोद कुमार दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम मनोज कुमार है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी का नाम मनोज कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है प्रार्थी का अन्य चकों /ग्रामों की भूमि में विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार दर्ज है एकरूकता रखने के लिये यही नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्ररतुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक्‍ में प्रार्थी का सयुक्त तौर से 875/20576 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम विनोद कुमार दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम मनोज कुमार है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी का नाम मनोज कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक्‍ में प्रार्थी का सयुक्त तौर से 875/20576 हिस्सा में सायल का नाम विनोद कुमार दर्ज है के स्थान पर विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 136 LRA/25 दिनांक :– 04/03/2021

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 25 / 2020 अनवानी मनोज कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. मनोज कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 25 / 2020 अनवानी मनोज कुमार बनाम सरकार में दिनांक 04/03/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79 / 83 की कुल 41.1520हैक में प्रार्थी का सयुक्त तौर से 875 / 20576 हिस्सा में सायल का नाम विनोद कुमार दर्ज है के स्थान पर विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

WU
23.3.2021

Scanned with CamScanner